संस्था-ज्ञापन

नियम और उपनियम

2012 तक अद्यतन

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

RULES AND BYE LAWS

Updated Upto 2012

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा

KENDRIYA HINDI SHIKSHAN MANDAL, AGRA

सूचना

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के
'MEMORANDUM OF ASSOCIATION : RULES & BYE LAWS'
का प्रस्तुत हिंदी संस्करण
'संस्था ज्ञापन : नियम और उपनियम'
अंग्रेजी मूल पाठ का हिंदी अनुवाद है।
किसी भी प्रकार का संदेह, अनिश्चिय या विवाद होने की स्थिति
में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

DISCLAIMER

The present Hindi version of the
'MEMORANDUM OF ASSOCIATION : RULES & BYE LAWS'
of *Kendriya Hindi Shikshan Mandal*
'Sanstha Gyapan : Niyam Aur Upniyam'
is a Hindi Translation of the said original English text.
In case of any doubt, confusion or dispute the
English Version will be final.

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा

संस्था-ज्ञापन

(दिनांक 4.4.1974 को मंडल द्वारा यथासंशोधित)★

साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीकरण के 1860 के अधिनियम—XXI के अंतर्गत

तथा

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, इसके बाद जिसे 'मंडल' नाम से संबोधित किया गया है, के अंतर्गत

संस्था-ज्ञापन

1. संस्था का नाम केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है।
2. मंडल का पंजीकृत कार्यालय आगरा में स्थित होगा।
3. मंडल की स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

   (i) केंद्रीय हिंदी संस्थान (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी) की स्थापना करना, उसका प्रशासन और प्रबंधन करना, जिसे इसके बाद 'संस्थान' नाम से संबोधित किया गया है।

   मंडल के प्रकार्य इस प्रकार होंगे :

   (क) विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण के मानकों में सुधार करना, हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, हिंदी भाषा एवं साहित्य के उच्च अध्ययन के लिए तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक अध्ययन के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान की व्यवस्था करना, संविधान के अनुच्छेद 351 के उल्लेख के अनुसार अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास करते हुए ऐसे पाठ्यक्रम प्रस्तुत, संचालित एवं उपलब्ध कराना जो इस भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार की दृष्टि से उपयोगी हो।

   (ख) विद्यार्थियों के रहने हेतु छात्रावासों की स्थापना, संचालन एवं नियंत्रण करना।

   (ग) परीक्षाएँ आयोजित करवाना एवं उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) प्रदान करना।

   (घ) विभिन्न स्तरों के अनुसार उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना।

   (ङ) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रारंभ एवं प्रकाशन करना।

   (च) संस्थान की प्रकृति एवं उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण करना अथवा उनका सहयोग करना, उनमें सम्मिलित होना तथा उन्हें संबद्ध करना।

★ शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-24-18/73-एच(डी-II), दिनांक 01.09.1976 द्वारा अनुमोदित।